


# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क्र.सं.	फर्द अहकाम	कानूनी
क्र.सं. 133/17	तारीख 25-10-17 उनवान - उमराव बजाम गिरीज वै. महस्वा दादाबाबत तकारुमा व स्थायी निवेद्यात च्यारा 53.188 RTA-थ	
	<p>वादी वकील और से एडवोकेट सुरेश चन्द्रशर्मा ने दादाबाबत तकारुमा व स्थायी निवेद्यात अन्तर्गत च्यारा 53.188 RTA-थ के तहत पेश किया। आपराक व जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। दादाबजाम गिरीज कर प्रतिवादी को को जिरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली दिनांक 10-11-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       अनंदिश आर्य                      उपजिला कलक्टर                      टोडाभीम                 </p>	
11/10/17	<p>आरकी और से कार्य स्थगित रखा गया। दिनांक 21-11-17 को पेश हो।</p>	
21-11-17	<p>वादी वकील उप. प्रतिवादी नं. 1 ता. 18 की ओर से श्री रमेश चंद सैनी A.N.V. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 19 ता. 30 अखिलेश चन्द उप. नही। 1.0 साहस करोली पधारे की वस्ति आगम आदेश दि. 28-11-17 को पेश हो।</p>	
28-11-17	<p>वकालत उप. प्रतिवादी नं. 19 ता. 30 के निरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अक्षय पेश करे दि. 08-12-17 को पेश हो।</p>	254 17-1-18

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम	
12-18	वकुलाय उपजिला / वारंसे बंधारा स्कीम दिनांक 19.12.18 को पेश है	
9-2-18	वकुलाय उपजिला/पीठासन अधिकारी पुनाबकारी से कोर्टी पेश है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 22-2-18 को पेश है।	
20-2-18	वकुलाय उप० बंधारा (बंधारा स्कीम दि० 22-3-18 को पेश है)	
22-3-18	वकुलाय उप० नायब तहसीलदार कालघाट से बंधारा स्कीम प्राप्त हुई/शामिल रहे। अतः बंध दि० 27.3.18 को पेश है।	
27-3-18	वकुलाय उप० बंध हेतु समय चला। समय दिया जाता है। अतः बंध दिनांक 4-5-18 को पेश है।	
4-5-18	वकुलाय उप० वकील उपपक्ष ने बंधारा स्कीम का ठापलोकन कर कुतान्त्रिक बंधारा स्कीम वादी एवं प्रतिवादी नं० 1 ता० 18 का क्राफ्ट क्लेम सति दावा फाइनल डिब्री कले का खपत किया। वादी व प्रतिवादी वकील की बंध सुनकर बंधारा स्कीम के अनुसार दावा वादी मय क्राफ्ट क्लेम फाइनल डिब्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया जाता है। पत्रा डिब्री जारी करें। पत्रावली कैलेंडर शुभारंभ होकर दाखिल दफ्तर है।	